खंड 3

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

खंड परिचय

सरकार के रूप

राजनीति विज्ञान में, विशेष रूप से तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में, हम वर्गीकरण के अलग- अलग मापदंडों का उपयोग करके राजनीतिक संस्थाओं के विविध रूपों, राजनीतिक प्रणालियों, संविधानों, पक्षों और राजनीति के विभिन्न तत्वों का वर्गीकरण करते हैं। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से 'आदर्श' वर्गीकरण की खोज करना होता है, लेकिन साथ ही इस बारे में एक व्यापक और समग्र समझ प्राप्त करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल है। पिछले भाग में हमने विभिन्न राजनीतिक क्षेत्रों के बारे में चर्चा की थी। इसी तरह, 'सरकार' राज्य और राजनीति की एक और महत्वपूर्ण संस्था है, जिसके विभिन्न रूपों का राजनीतिक शास्त्री समय पर वर्गीकरण और विश्लेषण करते हैं। अरस्तु ने शासकों की संख्या के आधार पर अपने वक्त की शासन व्यवस्था के विभिन्न रूपों को वर्गीकृत करने की पहली ज्ञात कोशिश की थी, जिसके माध्यम से उन्होंने राज्य में इस तरह अंतर किया, एक व्यक्ति द्वारा शासित राज्य , कुछ लोगों या बहुत से लोगों द्वारा शासित राज्य। बाद में, जीन बोडिन ने सोलहवीं शताब्दी में और मोंतेस्क्यु ने अठारहवीं शताब्दी में दुनिया भर के संविधानों और सरकारों के विभिन्न रूपों के बारे में वर्गीकरण के कुछ बेहतरीन प्रतिमानों को रेखांकित किया था। इसी तरह, रूसो, कांत, मोस्का और अन्य विचारकों ने राजनीतिक अध्ययन में कई वर्गीकरण तैयार किये हैं।

दो इकाइयों का यह भाग सरकार के कुछ (तीन) प्रचलित रूपों और प्रणालियों से आपका परिचय करायेगा। इसका उद्देश्य आपको उनकी आधार भूत विशेषताओं से अवगत कराना है। इकाइयाँ उनकी संस्थागत, कार्यात्मक और संगठनात्मक संरचना व क्रिया विधियों का विश्लेषण करके उनके बीच के सैद्धांतिक और व्यावहारिक अंतर को भी सामने लायेंगी। **इकाई 5** में सरकारों के संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली रूपों के बारे में जानकारी दी गई है और उनकी राजनीतिक प्रक्रिया, संस्थानों, क्रिया विधियाँ और काम काज के अंतर के बारे में भी बताएगी। जबकि, **इकाई 6** में हम सरकारों की संघीय और एकात्मक प्रणाली में प्रशासनिक सत्ता के आवंटन और वितरण का विश्लेषण करेंगे।

इकाई 5 संसदीय और अध्यक्षीय व्यवस्था *

संरचना

5.0 उद्देश्य

5.1 परिचय

5.2 संसदीय प्रणाली का अर्थ और उसकी विशेषताएं

- 5.2.1 दो कार्यकारी प्रमुख
- 5.2.2 कार्यपालिका और विधानसभा का संलयन
- 5.2.3 सामूहिक जिम्मेदारी
- 5.2.4 सरकार के प्रमुख के नेतृत्व
- 5.2.5 तय अवधि की अनुपस्थिति

5.3 संसदीय प्रणाली में सरकार

5.4 राष्ट्रपति प्रणाली का क्या अर्थ है

5.5 राष्ट्रपति प्रणाली की विशेषताएं

- 5.5.1 एक ही मुखिया
- 5.5.2 शक्तियों का विभाजन
- 5.5.3 राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के सदस्य
- 5.5.4 कानून बनाने का अधिकार
- 5.5.5 कार्यालयों की तय अवधि

5.6 संसदीय और राष्ट्रपति प्रणालीः फायदे और नुकसान

- 5.6.1 संसदीय प्रणाली के फायदे और नुकसान
- 5.6.2 राष्ट्रपति प्रणाली के फायदे और नुकसान

5.7 सारांश

5.8 सन्दर्भ

5.9 बोध प्रश्नों के उतर

5.0 उद्देश्य

संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली लोकतंत्र के दो अलग-अलग रूप हैं। यह इकाई इन दोनों प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन करती है। इस इकाई को पढने के बाद, आपः

- संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली का अर्थ बता पाएंगे;
- संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कर पाएंगे;
- संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की शक्तियों और कमजोरियों की पहचान कर पाएंगे, और;
- सरकार के संसदीय और राष्ट्रपति प्रणालियों की तुलना कर पाएंगे।

* श्री अब्दुल मजीद डार, शोधकर्ता, राजनीति विज्ञान संकाय सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

5.1 परिचय

विधानसभा और कार्यपालिका के बीच के संबंध राजनीति विज्ञान में सबसे बड़ी बहसों का केंद्र रहे हैं। इन दोनों संस्थाओं के बीच के संबंध को समझने के लिए प्रमुख कारकों में से एक है संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली के बीच का अंतर। हालांकि, संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली श्रेणियाँ राज्यों के बीच के विभिन्न राजनीतिक परिणामों की व्यापक व्याख्या नहीं कर सकती, लेकिन वे राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रमुख अंतरों की व्याख्या करने में योगदान देती हैं। संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली, दोनों प्रणालियों की अपनी विशिष्टताएं और उनसे संबंधित शक्तियाँ और कमजोरियाँ होती हैं। संसदीय और राष्ट्रपति प्रणालियों की तुलना करते हुए, यह इकाई इन व्यवस्थाओं से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करती है। विधान-मंडल और कार्यपालिका को कैसे निर्वाचित या चयनित किया जाता है? विधान-मंडल और कार्यपालक के बीच क्या संबंध हैं? राज्य के प्रमुख और सरकार के मुखिया की स्थिति क्या होती है? इनमें से कौन-सी व्यवस्था अधिक लोकतांत्रिक है? इसमें से कौन सी व्यवस्था प्रभावी नीति-निर्माण उपलब्ध करवाती है और अधिक राजनीतिक स्थिरता प्रदान करती है? इन प्रणालियों में सरकारें कैसे बनती हैं? इन दोनों प्रणालियों के बीच क्या संबंध हैं और उनके संचालन के संदर्भ क्या हैं?

5.2 संसदीय प्रणाली का अर्थ और उसकी विशेषताएं

संसदीय प्रणाली का मतलब सरकार के उस रूप से है, जिस में सरकार की कार्यपालिका और विधानसभा शाखाएं आपस में जुड़ी हुई होती हैं। इसमें, कार्यपालिका विधानसभा से तय की जाती है, जो इसके प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह होती है और इसके द्वारा खारिज भी की जा सकती है। जे. डब्ल्यू. गार्नर (1952) का कहना है कि सरकार का संसदीय रूप "वह व्यवस्था है जिसमें अविलंब और कानूनी तौर पर वास्तविक कार्यपालिका-मंत्रालय या मंत्रिमंडल-अपनी राजनीतिक नीतियों और कार्यों के लिए विधानसभा या इसकी किसी एक शाखा (आमतौर पर सदन) के प्रति जिम्मेदार होती है..., जबकि शीर्ष या सांकेतिक कार्यपालक-राज्य का मुखिया लापरवाही की जिम्मेदार लेता है" (पृष्ठ 323)। इस प्रणाली की शुरुआत ब्रिटेन में हुई थी और इसे भारत, जापान, जर्मनी, इटली, स्वीडन, कनाडा, न्यूजीलैंड, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों ने अपनाया है।

संसदीय प्रणाली की अपनी विशिष्ट विशेषताएँ होती हैं जो राष्ट्रपति प्रणाली से अलग होती हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं: (क) दो कार्यकारी प्रमुख (ख) कार्यपालिका और विधानसभा (ग) सामूहिक जिम्मेदारी (घ) सरकार के प्रमुख का नेतृत्व (ड) तय अवधि का अभाव। इन सभी विशेषताओं पर नीचे चर्चा की गई है।

5.2.1 दो कार्यकारी प्रमुख

संसदीय प्रणाली में दो कार्यकारी प्रमुख होते हैं: राज्य प्रमुख और सरकार का प्रमुख । दोनों की भूमिकाएं एक दूसरे से भिन्न हैं। राज्य प्रमुख राज्य का एक प्रतीकात्मक या कल्पित मुखिया प्रतिनिधि

होता है। उसकी भूमिका मुख्य रूप से गैरराजनीतिक, औपचारिक, प्रतीकात्मक और अनुष्ठानिक होती है जिसमें वास्तविक शक्ति सरकार के मुखिया के पास होती है। राज्य का मुखिया या तो वंशानुगत होता है या निर्वाचित होता है। ब्रिटेन, स्पेन, बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड और जापान में, राज्य के प्रमुख संवैधानिक सम्राट होता है, इसका मतलब यह है कि इन राज्यों में यह स्थिति वंशानुगत उत्तराधिकार अनुसार आगे बढ़ती है। दूसरी ओर भारत, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड और इसराइल जैसे अन्य राज्यों में राज्य का चयनित मुखिया होता है जिसे राज्य अध्यक्ष (गैर कार्यकारी अध्यक्ष) कहा जाता है। राज्य के प्रमुख के पास बहुतसी अनुष्ठानिक शक्तियाँ होती हैं और वह इन से बहुत से काम करता है जैसे कि, सरकार और अन्य मंत्रियों और अधिकारियों के मुखिया की नियुक्ति करना, कानून और संधियों को स्वीकृति देना, दुनिया के मामलों में अपने या अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करना, सम्मान देना, और राजदूतों, आयुक्तों, राज्य के मुखियों और अन्य का स्वागत करना। इन शक्तियों और कार्यों की औपचारिक प्रकृति के कारण, राज्य का प्रमुख केवल एक अपक्षपाती कल्पित मुखिया होता है। सरकार का प्रमुख सरकार का एक राजनीतिक नेता होता है जो एक राज्य में वास्तविक कार्यकारी के रूप में कार्य करता है और निर्णय लेता और राजनीतिक जिम्मेदारियों को पूरा करता है। राज्य के प्रमुख को भारत, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान में प्रधानमंत्री और जर्मनी और ऑस्ट्रिया में कुलाधिपति के रूप में और नीदरलैंड में मंत्री-राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है।

5.2.2 कार्यपालिका और विधानसभा का संलयन

संसदीय प्रणालियों में, सरकार की विधायी और कार्यकारी शाखाओं के बीच शक्तियों का कोई स्पष्ट विभाजन नहीं होता। बल्कि, इनमें शक्तियों का संलयन होता है जो सरकार के अंगों के अधिकार का विलय करने वाले एक संवैधानिक सिद्धांत को संदर्भित करता है। विधानसभा और कार्यपालिका का संलयन संसदीय प्रणालियों में मुख्य रूप से चार रूपों में मौजूद होता है। सबसे पहले, कार्यपालिका (प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल या समिति) विधानसभा से तैयार की जाती है और इसके प्रति जवाबदेह रहती है। एक नई सरकार (प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल) का गठन तबही होता है जब वह पहली बार विधानसभा से विश्वास मत हासिल करती है। विश्वासमत का अर्थ नए प्रधानमंत्री और उनके मंत्रि मंडल के प्रति समर्थन व्यक्त करने वाले अधिकांश विधायकों के मत से होता है। कार्यपालिका विधानसभा के सदस्यों के समर्थन के बिना अपने विधायी प्रस्तावों का उत्तीर्ण नहीं कर सकती, और कार्यपालिका के सदस्यों, विशेष रूप से मंत्रिमंडल के मंत्रियों द्वारा, अपने संबंधित विभागों की गतिविधियों के बारे में विधानसभा के सदस्यों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देना जरुरी होता है। दूसरा, कार्यपालिका के सदस्य विधानसभा के सदस्य भी होते हैं। तीसरा, विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव को पारित करके कार्यकाल पूरा होने से पहले सरकार को सत्ता से हटा सकती है। अविश्वास प्रस्ताव मत विधानसभा के बहुमत का एक मत होता है जो सत्ताधारी प्रधानमंत्री में विश्वास की कमी को दर्शाता है। चौथा, प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले विधानसभा को भंग कर सकता है और नए चुनावों की आज्ञा दे सकता है।

5.2.3 सामूहिक जिम्मेदारी

सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत संसदीय प्रणालियों की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है। यह सिद्धांत बताता है कि संपूर्ण रूप से मंत्रिपरिषद को सार्वजनिक रूप से और साथ ही विधानसभा में सभी सरकारी निर्णयों का समर्थन करना चाहिए। इसका अर्थ है कि सरकार के सभी कार्यों के लिए मंत्रिपरिषद समान रूप से जिम्मेदार है, और इसलिए सामूहिक नीतिगत निर्णय के बाद मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य सरकार के कार्यों को रद्द नहीं कर सकता है। मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णयों को सामूहिक निर्णयों के रूप में माना जाता है जिनका सभी सदस्यों द्वारा समर्थन किया जाना होता है। मंत्रिपरिषद का एक सदस्य जो विधानसभा या जनता में सरकार के फैसलों का समर्थन नहीं कर सकता, द्वारा मंत्रि परिषद से इस्तीफा देने की उम्मीद होती है। यह सिद्धांत एकता को सुनिश्चित करता है और मंत्रिपरिषद में संतुलन और संयम को प्रोत्साहित करता है। ये मंत्रिमंडल की उत्तर जीविता और दक्षता और प्रभावकारिता के लिए दो आवश्यक शर्तें हैं, खासकर जब गठबंधन सरकार होती है, जिसके मंत्रिमंडल के सदस्य विभिन्न राजनीतिक दलों से संबन्धित होते हैं। इसके अलावा, सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत विधायी प्रस्तावों को औपचारिक रूप से विधानसभा में पेश किए जाने के निष्कर्ष पर पहुंचने में योगदान देता है, और इस प्रकार सरकार को इन प्रस्तावों को आसानी से पारित करने में सक्षम बनाया जाता है क्योंकि मंत्रिमंडल के सदस्य स्वयं विधायक और बहुमत दल के वरिष्ठ नेता होते हैं। हालांकि, आलोचकों का तर्क है कि सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत मूल रूप से संतुलन और संयम को प्रोत्साहित करने के बजाय अनुशासित दल के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन है।

5.2.4 सरकार के प्रमुख के नेतृत्व

संसदीय प्रणालियों में, दिन-प्रतिदिन के आधार पर वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्रियों या कुलपतियों के हाथों में रहती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद, विधानसभा और बहुमत दल का नेता होता है। इस वजह से, वह शक्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला का अभ्यास करता है, जिससे वह अधिकांश संसदीय प्रणालियों में सबसे शक्तिशाली अभिनेता बन जाता है। उनकी सलाह के आधार पर राज्य के शीर्ष प्रमुख मंत्रियों और केंद्र सरकार के अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं, मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन और फेरबदल करते हैं, मंत्री को खारिज करते हैं, सम्मन देते हैं और विधानसभा के सत्रों को मुल्तवी करते हैं, और विधानसभा (विशेष रूप से लोकप्रिय या निचले सदन) को भंग करते हैं। इस प्रकार, सरकार का प्रमुख वास्तविक शक्ति का इस्तेमाल करता है और व्यवहार में इसे नियंत्रित करता है, न कि राज्य का प्रमुख जो केवल शीर्षक प्रमुख के रूप में कार्य करता है। डगलस वर्ने (1966) के अनुसार, "मुख्य कार्यकारी, मुख्य विधायक और मुख्य प्रशासक के रूप में, प्रधानमंत्री संभावित रूप से एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति होता हैं। सब कुछ उस उपयोग पर निर्भर करता है, जिसे वह अपनी स्थिति बनाने के लिए चुनता है, और उस सफलता पर निर्भर करता है जिसके साथ वह अपनी कुछ जिम्मेदारी सौंपता है"(पृष्ठ 57)। हालांकि, सभी प्रधानमंत्री सभी स्थितियों और संसदीय प्रणालियों में समान रूप से शक्तिशाली नहीं होते। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री ऐसी स्थिति में अपेक्षाकृत अधिक शक्ति प्राप्त करता है, जहाँ सरकार एकल बहुमत वाले पक्ष द्वारा बनाई जाती है

और जहाँ गठबंधन की सरकार होती है। प्रधानमंत्री की शक्ति के मुख्य निर्धारक हैं: उनके दल की विधायी शक्ति, उनके दल में एकता की मात्रा, मंत्रियों को नियुक्त करने या हटाने की उनकी क्षमता और मंत्रि परिषद के संबंध में मंत्रियों को नियुक्त करने और हटाने या अधिकार देने की उनकी क्षमता, विधानसभा में नीति-निर्माण प्रक्रिया और व्यायाम प्राधिकरण से निपटने की उसकी क्षमता, और मीडिया के लिए उसकी पहुंच। रॉडहेग, मार्टिन हैरोप और जॉन मैककॉर्मिक ने संसदीय प्रणालियों में सरकार के प्रमुख की स्थिति के मूल्यांकन के लिए तीन प्रकार की संसदीय सरकार की पहचान की हैः मंत्री मंडल सरकार, प्रधानमंत्री सरकार और मंत्री सरकार। मंत्रीमंडल सरकार में, मंत्रिपरिषद को व्यापक निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होता है। मंत्रीमंडल की बैठकों में निर्णय लिए जाते हैं और प्रधानमंत्री इन बैठ कों में मुख्य रूप से कुर्सी संभालते हैं। इस प्रकार की संसदीय सरकार विशेष रूप से फिनलैंड में संचालित है। प्रधानमंत्री सरकार में, प्रधानमंत्री सबसे शक्तिशाली कार्यकरता होता है जो विभिन्न मंत्रियों के साथ सीधे व्यवहार करता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जर्मनी है जहाँ विधानसभा के प्रतिमंत्रियों की जवाबदेही कुलाधिपति के कार्यालय के माध्यम से मौजूद होती है, जिसे जर्मनी के विधानसभा के बुंडेस्टैग नामक निचले सदन द्वारा नियुक्त किया जाता है अर्थात, मंत्री अपने संबंधित विभागों की गतिविधियों के लिए कुलाधिपति के प्रति जवाबदेह होते हैं, जबकि कुलाधिपति विधानसभा के प्रति जवाबदेह होता है। मंत्री स्तरीय सरकार में, मंत्रीयों के पास अपने उन संबंधित विभागों की स्वायत्तता होती है जिनमें वे प्रमुख होते हैं और इस तरह वे पूरी तरह से प्रधानमंत्री या मंत्री मंडल के नियंत्रण में काम नहीं करते। संसदीय सरकार का यह रूप मुख्य रूप से उस देश में पाया जाता है जहाँ बहुदलीय गठबंधन सरकार होती है जहाँ के मंत्रियों को वास्तव में पक्षों द्वारा नियुक्त किया जाता है, जैसे कि खुद गठबंधन सहयोगी। ऐसी स्थिति में, गठबंधन सरकार के नेता के रूप में प्रधानमंत्री की स्थिति इस मायने में कमजोर होती है कि मंत्री शासक प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल की तुलना में अपने पक्षों के प्रति अधिक वफादार रहते हैं।

5.2.5 तय अवधि की अनुपस्थिति

संसदीय प्रणाली के कार्यकाल की तय अवधि मौजूद नहीं होती। विधानसभा (आम तौर पर निचले सदन) एक अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से अपनी अवधि की समाप्ति से पहले सरकार को हटा सकती है और प्रधानमंत्री (आम तौर पर निचले सदन) अपने कार्यकाल के पूरा होने से पहले विधानसभा को भंग कर सकता है और अपने पक्ष के लिए एक चुनावी अवसर का लाभ उठाने के लिए नया चुनाव करवा सकता है। यह सुविधा मुख्य रूप से ऐसे देशों में होती है जहाँ उन देशों की तुलना में गठबंधन सरकार या एकल-पक्ष अल्पसंख्यक सरकार होती है जहाँ एकल-दल बहुमत वाली सरकारें अक्सर पाई जाती हैं।

5.3 संसदीय प्रणाली में सरकार

संसदीय प्रणालियों में, प्रधानमंत्री और मंत्रियों की मंत्रिपरिषद या मंत्रीमंडल युक्त विधानसभा या सरकार अलग से नहीं चुनी जाती, बल्कि विधायी चुनावों के आधार पर बनाई जाती है जो नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। अधिकांश संसदीय राज्यों में विधानसभा के लिए चुनाव हर चार या

पांच साल बाद होते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में लोकसभा (भारत का निचला सदन) के चुनाव पाँच साल बाद होते हैं, जबकि जर्मनी में बंडे स्टैग के लिए कार्यकाल चार साल है। एक विधायी चुनाव के बाद, नए निर्वाचित प्रतिनिधि एक विधानसभा बनाते हैं और सरकार बनाने (कार्यकारिणी का गठन करने) में व्यस्त हो जाते हैं। यदि कोई राजनीतिक दल विधायी या राष्ट्रीय चुनावों में अपने दम पर बहुमत हासिल करता है, तो सरकार का गठन सीधा होता है, यानी राज्य का मुखिया उस बहुमत दल (बहुमत वाले पक्ष) के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने और सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। इस स्थिति में, राज्य का मुखिया अपनी इच्छा अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं कर सकता है, लेकिन वह बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी मंत्रि परिषद या मंत्रीमंडल का गठन करता है और अपने उन मंत्रियों में विभागों का आवंटन करता है जो उसकी सलाह पर राज्य के प्रमुख द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों को विधानसभा के सदस्य होना चाहिए।

अगर कोई भी पक्ष अपने दम पर विधायी सीटों का बहुमत हासिल करता है तो संसदीय राज्यों में सरकार के गठन के लिए दो विकल्प होते हैं(दोनों स्थितियों में राज्य के प्रमुख प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपनी इच्छा का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले, राज्य का प्रमुख एक गठबंधन सरकार, एक सरकार जिसमें दो या अधिक दल होते हैं, जिनके पास व्यक्तिगत रूप से विधायी सीटों का बहुमत नहीं होता, बनाने के लिए पक्ष के नेता को अधिकांश विधायी सीटों की सिफारिश कर सकता है, एक विधायी बहुमत को सुरक्षित करने के लिए अपनी विधायी सीटें प्रदान कर सकता है। गठबंधन का गठन करने वाले पक्ष संयुक्त रूप से सरकार और मंत्रीमंडल पदों के प्रमुख को निर्धारित करते हैं। दूसरा, राज्य का प्रमुख अल्पसंख्यक सरकार, ऐसी सरकार जिसे एकात्मक पक्ष द्वारा बनाया जाता है जिसके पास विधानसभा में सबसे अधिक सीटें सुरक्षित होते हुए भी विधायी सीटों का स्पष्ट बहुमत नहीं होता, बनाने के लिए अधिकांश विधाय की सीटों वाले पक्ष को सिफारिश कर सकता है। एकलपक्ष की अल्पसंख्यक सरकारें मुख्य रूप से स्वीडन, नार्वे और कनाडा में पाई जाती हैं।

सरकार के संसदीय रूपों में प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल (सरकार) को विधानसभा से लिया जाता है। सरकार को जब तक इस विधानसभा का समर्थन प्राप्त है, वह सत्ता में बनी रहेगी। अगर एक अवलंबी सरकार विधानसभा (आम तौर पर निचले सदन में) में अपना बहुमत खो देती है, तो इसे अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से गिरा दिया जाता है और नए चुनावों का आयोजन किया जाता है। अपेक्षाकृत, गठबंधन सरकार और एकल पार्टी अल्पसंख्यक सरकारें ज्यादातर अल्पकालिक हो सकती हैं क्योंकि इनमें अविश्वास प्रस्ताव की अधिक संभावना होती है। जैसे जर्मनी, हंगरी, इसराइल और स्पेन जैसे कुछ संसदीय राज्य कुछ अलग तरह के अविश्वास प्रस्ताव का प्रयोग करते हैं जिसे अविश्वास का रचनात्मक मत कहा जाता है जिसके तहत विधानसभा को अवलंबी सरकार को हटाने से पहले एक नई सरकार चुनने की आवश्यकता होती है।

अभ्यास प्रश्न 1

नोटः i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।

ii) अपने जवाब को इकाई के अंत में दिए गए मॉडल जवाब के साथ मिलाकर देखें।

1) सरकार का संसदीय स्वरूप क्या होता है? इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताएं।

.....

.....

.....

2) सामूहिक जिम्मेदारी क्या होती है?

.....

.....

.....

5.4 राष्ट्रपति प्रणाली का क्या अर्थ है

राष्ट्रपति प्रणाली सरकार का वह स्वरूप है, जिसमें सरकार की कार्यकारी और विधायी शाखाएं अलग होती हैं और दोनों में ही आपसी स्वतंत्रता होती है। इसमें, कार्यपालिका और विधानसभा को अलग से चुना जाता है और इनके पास स्वतंत्र शक्तियाँ होती हैं और कार्यपालिका प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा को जवाबदेह नहीं होती है और न ही इसे विधानसभा द्वारा भंग किया जा सकता है।जे.डब्ल्यू. गार्नर (1952) के अनुसार, राष्ट्रपति सरकार "ऐसी प्रणाली है जिसमें कार्यकारी (राज्य के प्रमुख और उनके मंत्रियों सहित) अपनी अवधि या कार्यकाल के मामले में संवैधानिक रूप से विधानसभा से स्वतंत्र होते हैं और यह अपनी राजनीतिक नीतियों के लिए विधानसभा को जवाबदेह नहीं होते" (पृष्ठ 340)। इस प्रणाली का सबसे अच्छा उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका है, जहाँ यह प्रणाली पैदा हुई और इसे अर्जेंटीना, ब्राजील, मेक्सिको, चिली, कोलंबिया, आदि ने अपनाया। यह प्रणाली अफ्रीकी देशों जैसे कि घाना, केन्या, जिम्बाब्वे, आदि और कुछ एशियाई देशों जैसे कि इंडोनेशिया, मालदीव, फिलीपींस, आदि में भी मौजूद है।

5.5 राष्ट्रपति प्रणाली की विशेषताएं

संसदीय प्रणाली की तरह ही राष्ट्रपति प्रणाली की भी अपनी विशेषताएं हैं जो इसे संसदीय प्रणाली से अलग करती हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं: (क) एक ही मुखिया (ख) शक्तियों का विभाजन (ग) राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के सदस्य (ध) कानून बनाने का अधिकार और (ड) कार्यालयों की तय अवधि। इन विशेषताओं के बारे में नीचे चर्चा की गई है।

5.5.1 एक ही मुखिया

राष्ट्रपति प्रणाली में, एक भी निर्वाचित व्यक्ति होता है जिसे राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है और, जैसा कि एंड्रयू हेवुड का कहना है, यह व्यक्ति ''दो ताज'' पहनता है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति राज्य और सरकार का मुखिया होता है। वह सरकार को निर्देश देता है और राजनीतिक जिम्मेदारियों को निभाता है और औपचारिक कर्तव्यों का पालन करता है। हालांकि, राष्ट्रपति संसदीय प्रणाली के तहत प्रधानमंत्री की तुलना में बहुत कमजोर होता है और ससंदीय प्रणाली के तहत प्रधानमंत्री की तुलना में विधानसभा और इसके सदस्यों पर उसका नियंत्रण कम होता है क्योंकि इस प्रणाली में शक्तियों को विभाजित कर दिया जाता है।

5.5.2 शक्तियों का विभाजन

सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली को परिभाषित करने वाली मुख्य विशेषताओं में से एक विशेषता है इसमें शक्तियों का विभाजन करना जिसका अर्थ है कि शक्तियों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से सरकार की तीन शाखाओं-विधानसभा, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित कर दिया जाता है। राष्ट्रपति प्रणाली में विधानसभा और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन मुख्य रूप से निम्नलिखित रूपों में होता है। सबसे पहले, कार्यकारी (राष्ट्रपति और उसके मंत्री) विधानसभा से नही लिए जाते बल्कि राष्ट्रपति और विधानसभा को अपने अपने चुनावों से अलग-अलग चुना जाता है। दूसरा, राष्ट्रपति सीधे रूप से निर्वाचक मंडल के प्रति जवाबदेह और जिम्मेदार होता है न किविधानसभा के प्रति। ऐसा इस लिए होता है क्योंकि उसे सीधे तौर पर या चुनावों के माध्यम से लोगों द्वारा चुना जाता है। तीसरा, विधानसभा राष्ट्रपति को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले हटा नहीं सकती। वह केवल असाधारण परिस्थितियों में महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से ही ऐसा कर सकती है। चौथा, राष्ट्रपति विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति से पहले इसे भंग नहीं कर सकता है। पांचवां, राष्ट्रपति सहित कार्यपालिका के सदस्य विधानसभा के सदस्य नहीं बन सकते और विधानसभा के सदस्य भी कार्यपालिका के सदस्य नहीं बन सकते हैं। अगर विधानसभा के सदस्य कार्यकारी शाखा में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें पहले कार्यपालिका में अपनी सदस्यता से इस्तीफा देना होगा। इसके साथ ही कार्यकारी सदस्य भी विधानसभा में नहीं बैठ सकते और न ही वह विधायी प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं।

5.5.3 राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के सदस्य

राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति को अपने मंत्रीमंडल के सदस्य नियुक्ति करने और सरकार बनाने की पूरी स्वतंत्रता है लेकिन उसके सदस्य विधानसभा से नहीं लिए होने चाहिए। सरकार के संसदीय स्वरूप में मंत्रियों की परिषद सरकार के मुखिया के सहयोगी के रूप में काम करती है और उसके पास पार्टी में अपना शक्ति आधार और विधानसभा में सहयोग भी होता है। लेकिन इससे अलग राष्ट्रपति प्रणाली में मंत्रीमंडल के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और वह राष्ट्रपति के नीति निर्माता नहीं बल्कि उसके नीति सलाह का रही रहते हैं और वह व्यक्तिगत तौर पर लोगों को या विधानसभा को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को जवाबदेह होते हैं। केवल राष्ट्रपति ही अपने प्रशासन

के लिए लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है। यह दर्शाता है कि राष्ट्रपति के पास अपने मंत्रीमंडल को नियुक्त करने की और उन्हें खारिज करने की पूरी स्वतंत्रता होती है क्योंकि वह राष्ट्रपति के अधीन काम करते हैं और उनके पास निर्णय लेने की कोई शक्ति नहीं होती है। इस तरह से राष्ट्रपति सरकार में एकतरफा कार्यकारी जिम्मेदारी होती है और संसदीय सरकार की तुलना में इस सरकार में मंत्रीमंडल के पास निर्णय लेने की शक्ति नहीं होती।

5.5.4 कानून बनाने का अधिकार

राष्ट्रपति प्रणाली की कार्यपालिका संसदीय सरकार की कार्यपालिका की तुलना में कानून बनाने का बहुत ही कम अधिकार रखती है। अमेरिकी राष्ट्रपति, उदाहरण के लिए, कांग्रेस (संयुक्त राज्य अमेरिका की विधानसभा) द्वारा पारित कानून को वीटो (खारिज) कर सकता है, लेकिन कार्यपालिका दो-तिहाई बहुमत मतों के साथ इस वीटो को ही खारिज कर सकती है, जिसके बात राष्ट्रपति संधियों पर हस्ताक्षर कर सकता है लेकिन ऐसी संधियों को सीनेट (ऊपरी सदन) के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। मुख्य रूप से अपने चयन, कार्यकाल और सदस्यता के मामले में कार्यकारी और विधायी शाखाओं के आपसी स्वतंत्रता की वजह से यह विधानसभा एक संसदीय प्रणाली की विधानसभा की तुलना में अधिक स्वतंत्र विधिकारी निकाय है।

5.5.5 कार्यालयों की तय अवधि

राष्ट्रपति प्रणाली की एक अन्य विशिष्ट विशेषता है इसकी तय अवधि। राष्ट्रपति और विधानसभा एक तय अवधि के लिए ही चुने जाते हैं जिसका अर्थ है कि दोनों ही अवधि पूरी होने से पहले एक-दूसरे को हटा नहीं सकते। राष्ट्रपतियों को तय अवधि के लिए अलग से चुना जाता है, यह तय अवधि राज्यों के अनुसार चार, पांच, या छह साल की हो सकती है और उनका कार्यकाल संसदीय प्रणाली की तरह विधानसभा के समर्थन पर निर्भर नहीं होता। इसका मतलब है कि विधानसभा अवधि की समाप्ति से पहले, असाधारण परिस्थितियों में महाभियोग प्रक्रिया का प्रयोग करने को छोड़कर क्योंकि इस में असाधारण माप दंडों की जरूरत होती है, राष्ट्रपति को हटा नहीं सकती । इसी तरह, राष्ट्रपति विधानसभा भंग नहीं कर सकता और न ही इसके सदस्यों को हटा सकता है क्योंकि उनके पास लोकतांत्रिक जनादेश होता है।

अभ्यास प्रश्न 2

नोटः i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।
ii) अपने उत्तर इकाई के अंत में दिए गए मॉडल जवाब के साथ मिलाकर देखें।

1) राष्ट्रपति प्रणाली क्या होती है? इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताएं।

.....

.....

.....

2) शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत के बारे में बताएं।

.....

.....

.....

5.6 संसदीय और राष्ट्रपति प्रणालीः फायदे और नुकसान

संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली के संबंधित फायदे और नुकसान के बारे में बहस का राजनीति विज्ञान में एक लंबा इतिहास है। 1990 के दशक में इसका पुनरुत्थान हुआ और यह तुलनात्मक राजनीति में छात्रवृत्ति के लिए केंद्रीय मुद्दा बन गई। 1990 के दशक में जुआनजे. लिंज (1990) ने अपने प्रसिद्ध लेख "राष्ट्रपतिवाद के ख़तरे"में इस बहस की शुरुआत की जिसमें उन्होंने तर्क रखा कि राष्ट्रपति प्रणाली, जिसे वह स्वभाविक रूप से ही अस्थिर प्रणाली मानते हैं, की तुलना में संसदीय प्रणाली अधिक लोकतांत्रिक स्थिरता प्रदान करती है। लिंज द्वारा राष्ट्रपति प्रणाली की आलोचना ने कई विद्वानों को उसकी स्थिति के बारे में गंभीरता से सोचने पर मजबूर किया है जिसे उन्होंने विभिन्न आधारों पर चुनौती दी है। डोनाल्ड एल. होरोवित्ज (1990) का कहना है कि लोकतांत्रिक स्थिरता का स्तर संसदीय या राष्ट्रपति प्रणाली के साथ नहीं जुड़ा होता, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि एक देश कौन सी निर्वाचन प्रणाली (बहुलता, बहुमत या आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली) का प्रयोग करता है। मैथ्यू शुगार्ट और जे. केरी (1992) का तर्क है कि राष्ट्रपति प्रणाली संसदीय प्रणालियों की तुलना में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता प्रदान करती है और यह स्वाभाविक रूप से अस्थिर नहीं हैं। जो स एंटोनियोचेबब (2007) ने इस बहस में एक नई बात रखी है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति प्रणाली स्वभाविक रूप से खतरनाक नहीं है (बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ, जिसमें यह प्रणाली काम करती है, के कारण लोकतांत्रिक अस्थिरता पैदा होती है। उनका (2007) कहना है कि "राष्ट्रपति संस्थानों को ऐसे देशों में अपनाया गया है जहाँ लोकतंत्र के किसी भी रूप के नष्ट होने की संभावना होती है " (पृष्ठ 2-3)

5.6.1 संसदीय प्रणाली के फायदे और नुकसान

संसदीय प्रणाली के समर्थकों का तर्क है कि यह प्रणाली राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में बहुत बेहतर है क्योंकि यह निम्न लाभ प्रदान करती है। सबसे पहले, राष्ट्रपति प्रणाली की विधान सभा की तुलना में संसदीय प्रणाली के विधानसभा के सदस्य कार्यकारी शाखा को अधिक सहयोग देते हैं। दूसरा, सरकार अधिक जिम्मेदार और जवाबदेह होती है क्योंकि सभी मंत्री व्यक्तिगत रूप से अपने-अपने विभाग की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह होते हैं और एक अवलंबी सरकार, विशेष रूप से एक गठबंधन सरकार, केवल तब तक ही कार्य कर सकती है जब तक उसे विधानसभा के सदस्यों का सहयोग हासिल हो। तीसरा, क्योंकि कार्यपालिका के सदस्य स्वयं विधानसभा के सदस्य होते हैं, इसलिए यह एक मजबूत सरकार होती है जिसमें नीतियाँ बनाने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी

होती है क्योंकि एक अवलंबी सरकार जिन विधायी प्रस्तावों को पेश करती है वह विधानसभा में आसानी से कानून के रूप में पारित हो सकते हैं। ऐसा विशेष रूप से केवल एक पार्टी वाली बहुमत की सरकार के साथ होता है। एक गठबंधन सरकार में ऐसा नहीं होता क्योंकि ऐसी सरकार में नीति बनाने की प्रक्रिया कई समझौतों पर निर्भर करती है। चौथा, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक प्रतिनिधित्व हो सकता है क्योंकि संसदीय राज्यों में जिन विधान सभाओं का चयन चुनाव प्रणाली के माध्यम से होता है वह अधिक प्रतिनिधित्व निकाय होते हैं और इन राज्यों में बनाई गई गठबंधन सरकारें बहुलता में लोगों के हितों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती हैं। पांचवां, संसदीय प्रणाली अधिक लचीली है क्योंकि यह चुने गए उन प्रतिनिधियों पर दबाव बनाती है जिनके राजनीतिक विचार अलग होते हैं और सरकार बनाने के लिए उनसे बातचीत करने में सहायता करती है। छठा, संसदीय प्रणाली में अनुशासित दलों के महत्व को देखते हुए, वे पार्टियों को बनाने और उन्हें बनाए रखने के लिए अधिक अनुकूल हैं। अन्त में, कार्यपालिका की तय अवधि के अभाव के कारण मतदाताओं के पास अवसर होता है कि वह किसी भी समय अक्षम और अलोकप्रिय प्रतिनिधि को हटा सकते हैं।

लोचकों का तर्क है कि संसदीय प्रणाली राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में पूरी तरह से बेहतर नहीं है क्योंकि यह कई समस्याओं से ग्रस्त है। सबसे पहले, संसदीय प्रणाली कार्यकारी वर्चस्व की समस्या पैदा कर सकती है। ऐसा आमतौर पर एकल पार्टी बहुमत पर आधारित संसदीय सरकारों में होता है जहाँ कार्यकारी का विधानसभा पर इतना अधिक नियंत्रण होता है कि विधानसभा मात्र बात करने की एक दुकान के रूप में कार्य करती है। दूसरा, संसदीय प्रणाली कमजोर सरकार और राजनीतिक अस्थिरता के साथ जुड़ी हुई है। यह आमतौर पर संसदीय राज्यों में होता है क्योंकि जहाँ चुनाव प्रणाली की आनुपातिक प्रतिनिधित्व रूपों के कारण या तो एकल पार्टी अल्पसंख्यक सरकारें बनती हैं या गठबंधन सरकार का गठन होता है। तीसरा, संसदीय प्रणाली राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में बहुत ही कम कुशल होती है क्योंकि मतदाताओं को चुनाव से पहले (मतदान करने से पहले) यह पता ही नहीं होता कि चुनावों के नतीजों के बाद बनी सरकार की संरचना कैसी होगी और गठबंधन सरकार बनाने के लिए किस तरह की बातचीत की जाएगी। चौथा, जब कोई भी पार्टी विधानसभा में बहुमत नहीं बना पाती है तो ऐसे में मतदाताओं की प्राथमिक नीतियां वास्तविक रूप नहीं ले पाती क्योंकि अलग-अलग विचारों वाली पार्टियों को सरकार बनाने के लिए अपनी स्थिति के साथ समझौता करना पड़ता है।अन्त में, प्रधानमंत्री अपने या अपने पार्टी के हित में किसी भी समय पहले ही चुनाव करवा सकता है।

5.6.2 राष्ट्रपति प्रणाली के फायदे और नुकसान

संसदीय प्रणाली की तरह ही राष्ट्रपति प्रणाली की अपनी शक्तियां और कमजोरियां होती हैं। अधिवक्ताओं के लिए, राष्ट्रपति प्रणाली आगे बताए हुए फायदों की वजह से संसदीय प्रणाली से बेहतर होती है । सबसे पहले, विधायी और कार्यकारी शाखाओं के बीच शक्तियों का विभाजन कार्यकारी वर्चस्व की समस्या को रोकता है, सीमित सरकार स्थापित करता है और इस तरह से व्यक्तिगत अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। दूसरा, ऐसा संभव है कि संसदीय प्रणाली में हर एक पार्टी केवल अपने समर्थकों का ही प्रतिनिधित्व करे, लेकिन इससे अलग राष्ट्रपति प्रणाली में,

एक एकल राष्ट्रीय स्तर पर निर्वाचित सरकार, पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सकती है और इसीलिए यह राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के तौर पर काम करती है। तीसरा, तय अवधि की वजह से राष्ट्रपति प्रणाली कार्यकारी में अधिक से अधिक निरंतरता प्रदान करती है और संसदीय प्रणाली की तुलना में यह कहीं अधिक राजनीतिक स्थिरता प्रदान करती है। चौथा, संसदीय प्रणाली की तुलना में राष्ट्रपति प्रणाली कहीं अधिक कुशल होती है क्योंकि मतदाताओं के पास पहले ही जानकारी होती है कि नई सरकार का नेतृत्व कौन करेगा। उदाहरण के लिए, 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में मतदाताओं को पता था कि डोनाल्ड ट्रम्प या हिलेरी क्लिंटन संयुक्त राज्य अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बनेंगे। पांचवां, राष्ट्रपति प्रणाली मतदाताओं को नीति बनाने की प्रक्रिया को प्रभावित करने और इसे आकार देने का अवसर प्रदान करती है । इसके लिए दो अलग-अलग और स्वतंत्र निर्वाचित संस्थाएं-विधानसभा और कार्यपालिका उनका प्रतिनिधित्व करती हैं। अंत में, विधानसभा की स्वतंत्रता की वजह से, राष्ट्रपति प्रणाली में विधानसभा में व्यक्तिगत तौर पर निर्वाचित सदस्य संसदीय प्रणाली की तुलना में नीति बनाने की प्रक्रिया पर अधिक प्रभाव डालते हैं।

राष्ट्रपति प्रणाली भी समस्याओं से मुक्त नहीं हैं। राष्ट्रपति प्रणाली के आलोचकों का तर्क है कि इस प्रणाली के कई संभावित नुकसान है । सबसे पहले, शक्तियों के विभाजन की वजह से, राष्ट्रपति प्रणाली विधानसभा और कार्यपालिका के बीच एक गतिरोध पैदा करने की संभावना रखती है क्योंकि संभव है कि यह दोनों ही संस्थाएं अपनी बराबर सार्वजनिक वैधता (लिंज के शब्दों में दोहरी वैधता) के आधार पर नीति के लिए एक-दूसरे के साथ संघर्ष करें जिससे नीति बनाने की कुशल प्रक्रिया और नीति कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए खतरा पैदा हो सकता है। दूसरा, लिंज (1990), अल्फ्रेड स्टीफन और सिंडी स्कैच (1993) और अन्य विद्वानों का तर्क है कि संसदीय राज्यों की तुलना में राष्ट्रपति प्रणाली अपने राजनीतिक अंतरों और राजनीतिक पार्टियों की बड़ी संख्या के साथ बहुत ही कम लोकतांत्रिक है क्योंकि दोहरी वैधता कार्यपालिका और विधानसभा को किसी झगड़े के लोकतांत्रिक समाधान पर पहुँचने नहीं देती। तीसरा, राष्ट्रपति प्रणाली अत्यधिक कठोर प्रणाली है क्योंकि इसमें कार्यपालिका और विधानसभा के कार्यालयों की अवधि तय होती है। जैसा कि बेजहॉट ने कहा है कि "सब कुछ कठोर, निर्दिष्ट, दिनांकित है।" राष्ट्रपति को आमतौर पर अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटाया नहीं जा सकता, भले ही वह राजनीतिक समस्या पैदा करने वाले किसी भी गंभीर मुद्दे को ठीक ढंग से निपटाने के योग्य न हो। चौथा, अपने राष्ट्रीय जना देश के आधार पर राष्ट्रपति प्रणाली सत्ता को साझा करने और समझौता करने के कि सी भी रूप के खिलाफ हो सकती है। इस संबंध में, राष्ट्रपति प्रणाली मुख्य रूप से अत्यधिक विभाजित समाज में समस्या ग्रस्त है। पांचवां, राष्ट्रपति प्रणाली में जवाबदेही कम होती है क्योंकि इस प्रणाली में विधानसभा और कार्यपालि का नीति के सफल होने पर तो इसके श्रेय का दावा करती हैं और नीति के असफल होने पर इसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। अंत में, एक तरफा कार्यकारी जिम्मेदारी के कारण राष्ट्रपति प्रणाली कमजोर मंत्रीमंडल की समस्या से ग्रस्त है जिससे संसदीय प्रणाली के मुकाबले बहुत ही कम विवेचना पैदा होती है।

अभ्यास प्रश्न 3

नोटः i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।

ii) अपने उत्तर इकाई के अंत में दिए गए मॉडल जवाब के साथ मिलाकर देखें।

1) (क) एक संसदीय प्रणाली और (ख) राष्ट्रपति प्रणाली के दो मुख्य फायदे और दो मुख्य नुक्सान बताएं।

.....

.....

2) संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली के बीच परिभाषा का क्या अंतर होता है?

.....

.....

5.7 सारांश

विधानसभा और कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर, लोकतांत्रिक सरकार के दो महत्वपूर्ण मॉडलों की पहचान की गई हैः संसदीय प्रणाली और राष्ट्रपति प्रणाली। संसदीय प्रणाली विश्वस्तर पर बहुत साधारण है, जबकि राष्ट्रपति प्रणाली ऐतिहासिक दृष्टि से अमेरिका में छाई हुई है। दोनों प्रणालियों की अपनी विशिष्ट विशेषताएं और शक्तियां और कमजोरियां होती हैं जो एक प्रणाली को दूसरी प्रणाली से अलग करती हैं। दोनों ही लोकतांत्रिक सरकार के लिए अनुकूल हैं। दोनों प्रणालियों के कामकाज, प्रदर्शन और परिणाम उन ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संदर्भों पर आकस्मिक हैं जिनमें यह कार्य करते हैं। इसके अलावा, संसदीय और राष्ट्रपति प्रणालियाँ साधारण तौर पर एक-दूसरे से अलग हैं, कोई भी प्रणाली पूरी तरह से दूसरी से बेहतर नहीं है । इसके साथ ही, अर्द्ध संसदीय प्रणाली और राष्ट्रपति प्रणाली के गुण वाली संकर प्रणाली फ्रांस, क्रो एशिया, लिथुआनिया, पोलैंड, यूक्रेन और रूस जैसे कई देशों में पाई जाती है। राष्ट्रपति और संसदीय प्रणाली की विशेषताओं वाली इस प्रणाली का उद्देश्य, सैद्धांतिक रूप से, संसदीय या राष्ट्रपति प्रणाली की कमजोरियों को कम करना और दोनों का सर्वश्रेष्ठ लाभ हासिल करना है।

5.8 संदर्भ

चैबूब.जे.ऐ. (2007). प्रेसिडेंशियलिज़्, पार्लमैंटरिज़्म एंड डेमोक्रेसी. न्यू यॉर्क कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस.

गार्नर, जे डब्लू. (1952). पोलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, कलकत्ता,वर्ल्ड प्रेस.

होरोविट्ज डी एल. (1990). कम्पैरिंग डैमोक्रेटिक सिस्टमस जर्नल ऑफ़ डेमोक्रेसी, 1 (4), 73-79.

लींज़, जे.जे. (1990). द पेरिल्स ऑफ़ प्रेसिडेंशियलिज़्म जर्नल ऑफ़ डेमोक्रेसी, 1 (1), 51-69.

स्टीपन, ए एंड सी स्कॉच. (1993). कोंस्टीटूशनअल फ्रेमवर्क्स एंड डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशनः पार्ल पार्लियामेंटरिज़्म वैर्सस प्रेसिडेंशियलिज़्म. वर्ल्ड पॉलिटिक्स, 46, (1) 1-22.

शुर्गत एम् जे कैरे. (1992). प्रेसिडेंटस एंड अस्सेम्ब्लीज़ः कौस्टीटूशनल डिज़ाइन एंड इलैक्टोरल डायनामिक्स. कैंब्रिज, कैंब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस.

वर्नी, डी. (1966). ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स. न्यू यॉर्क, हार्पर एंड रौ.

5.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

1) संसदीय प्रणाली सरकार का वह रूप है जिसमें सरकार की कार्यकारी और विधायी शाखाएं जुड़ी हुई होती हैं जिसमें कार्यकारी की शक्ति विधानसभा से ली जाती है। हालांकि कार्यपालिका और विधानसभा सामूहिक जिम्मेदारी के आधार पर काम करते हैं, कार्यपालिका हमे शाही विधानसभा को जवाबदेह होती है।

2) इस सिद्धांत का अर्थ है कि मंत्रि परिषद को पूरी तरह से सरकार और विधानसभा के सभी फैसलों का समर्थन करना चाहिए। इससे एकता बढ़ती है और मंत्रिपरिषद में संतुलन व संयम को प्रोत्साहन मिलता है।

अभ्यास प्रश्न 2

1) राष्ट्रपति प्रणाली सरकार का वह रूप है, जिसमें सरकार की कार्यकारी और विधायी शाखाएं अलग-अलग होती हैं लेकिन इन दोनों के बीच आपसी स्वतंत्रता होती है। इस प्रणाली में, निर्वाचित राष्ट्रपति राज्य और सरकार के मुखिया के रूप में कार्य करता है। यह प्रणाली एकतरफा कार्यकारी जिम्मेदारी के साथ शक्तियों के विभाजन पर आधारित है।

2) यह सिद्धांत सरकार की तीन शाखाओं-विधानसभा, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों और जिम्मेदारियों के स्पष्ट विभाजन का प्रतीक है। यह राष्ट्रपति प्रणाली की पारिभाषिक विशेषता है।

अभ्यास प्रश्न 3

1) (क) इसके दो फायदे हैं अधिक जिम्मेदार और जवाबदेह सरकार, और अधिक प्रभावी नीति-निर्माण । इसके नुकसान हैं कार्यकारी वर्चस्व की समस्या, और कमजोर सरकार और राजनीतिक अस्थिरता।

इकाई 6 संघीय और एकात्मक व्यवस्था *

संरचना

6.0 उद्देश्य

6.1 परिचय

6.2 संघीय व्यवस्था को समझना

6.2.1 संघीय व्यवस्था का विकास

6.3 संघवाद: आवश्यक विशेषताएं

6.3.1 शक्ति का विभाजन

6.3.2 लिखित संविधान

6.3.3 न्यायिक समीक्षा

6.4 संघवाद की बदलती प्रकृति

6.5 एकात्मक व्यवस्था को समझना

6.5.1 एकात्मक व्यवस्था: मूल विशेषताएं

6.6 संघीय और एकात्मक व्यवस्थाओ के बीच अंतर

6.6.1 शक्ति का स्रोत

6.6.2 शक्ति की प्रकृति

6.6.3 प्रादेशिक सीमांकन

6.6.4 विकेंद्रीकरण बनाम गैर-केंद्रीकरण

6.6.5 कार्यात्मक स्वायत्तता

6.7 सारांश

6.8 संदर्भ

6.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

6.0 उद्देश्य

सरकारों को संघीय और एकात्मक प्रणाली में केंद्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय शासन के बीच शक्तियों के विभाजन के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। यह इकाई संघीय और एकात्मक प्रणालियों की बुनियादी विशेषताओं को सामने लाती है। इस इकाई के माध्यम से आप निम्नलिखित करने में सक्षम होंगेः

- संघीय और एकात्मक प्रणाली के मूल तत्वों को पहचानने में;
- संघीय और एकात्मक प्रणाली के बीच अंतर करने में;
- संघीय और एकात्मक प्रणाली की बदलती प्रकृति की व्याख्या करने में।

* सुश्री सुरभि राव, शोधकर्ता, राजनीति विज्ञान संकाय, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

6.1 परिचय

यूरोप में उभरे शुरूआती आधुनिक राज्य पूर्णरूप से राजतंत्र थे। वे मुख्य रूप से पदानुक्रमित या चेतन राज्य थे जिनकी शक्ति सम्राट के हाथों में निहित थी। लेकिन जैसे जैसे उनकी अर्थव्यवस्था में बदलाव आया, औद्योगिक क्रांति पराकाष्ठा पर पहुंचती गई। लोगों को कैसे नियंत्रित किया जाए ऐसे राजनीतिक विचारों में भी बदलाव आया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अमरीकी और फ्रांसीसी क्रांतियों ने राजशाही को एक झटका दिया और सरकार के गंणतांत्रिक और लोकतांत्रिक रूपों को प्रस्तुत किया। यहां तक कि उन देशों में जहां लोकतांत्रिक विचारों को लोकप्रियता नहीं मिली, तब शासन ने महसूस किया कि हुकुमत को पूरी तरह से एक केंद्रिय प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित नहीं किया जा सकता है और इसके लिए विकेंद्रियकरण की आवश्यकता है। किसी राज्य की विभिन्न राजनीतिक इकाइयों के बीच सत्ता के वितरण के आधार पर उभरी दो प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएँ एकात्मक और संघीय थी। युद्ध के बाद के वर्षों में राज्य और अर्थव्यवस्था की बदलती प्रकति के साथ एकात्मक और संघीय व्यवस्था के बीच की सीमाएँ धुंधली हो गई हैं। वर्तमान में, अधिकांश राजनीतिक व्यवस्थओं में कुछ विशेषताएँ एकात्मक और कुछ संघीय व्यवस्था की हैं। इसलिए, हमें यह देखना होगा कि सरकार मूल रूप से एकात्मक है या संघीय है। इस इकाई में, हम सरकार के इन दो रूपों के विकास और उनकी मुख्य विशेषताओं को संबोधित करेंगे।

6.2 संघीय व्यवस्था को समझना

सरकार के संघीय रूप में अंतर्निहित मूल अवधारणा है कि यह राज्यों का वैयक्तिक अस्तित्व मानती है और उन्हें एक संघीय राजनीति में बांधकर रक्षा, विदेश नीति, वाणिज्य, संचार आदि के क्षेत्र में लाभान्वित करती है।

6.2.1 संघीय व्यवस्था का विकास

18वीं शताब्दी के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार का पहला संघीय रूप अस्तित्व में आया। जब अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध में तेरह उपनिवेश ब्रिटीश औपनिवेशिक नियंत्रण से मुक्त हो गए, तो उन्होंने पहली बार एक परिसंघ की स्थापना की। जैसा कि यह परिसंघ तत्कालीन परिस्थितियों की आवश्कताओं को पूरा करने में अपर्याप्त साबित हुआ, तब 1789 नें राज्यों के प्रतिनिधियों ने एक सम्मेलन में एक साथ मिलकर एक संघीय संविधान का मसौदा तैयार किया। राज्यों ने केंद्र में सरकार का एक ढ़ाचा तैयार किया और इसे कुछ विशिष्ट शक्तियां दी, जो स्वयं के साथ अवशिष्ट शक्तियों को बनाए रखती थी। यह संविधान बाद के वर्षो में आई संघीय राजनीति का एक मुख्य मॉडल बन गया। अमेरिकी राज्यों ने एक संघीय सरकार की स्थापना के लिए एकजुट होते हुए भी, उनके हितों की रक्षा के लिए केंद्र या संघीय सरकार की शक्तियों का संरक्षित करने का ध्यान रखा। उदाहण के लिए, सीनेट, संघीय विधायिका का एक अंग है जिसमें राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि संविधान में दो तिहाई राज्यों की सहमति के बिना संशोधन नहीं

किया जा सकता है। एक समय यह माना जाता था कि राज्यों और संघीय सरकार के पास दोहरी संप्रभुता है। यह मामला संकट के बिंदु पर पहुंच गया जब दक्षिण के कुछ राज्यों ने अपनी संप्रभुता का दावा करने का प्रयास किया और गुलामी के सवाल पर अलग हुए। गृह युद्ध के बाद हमेशा के लिए सभी ने निर्णय किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका 'अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है।' हालांकि अमेरिकी महासंघ में औपचारिक संशोधनों, न्यायिक व्याख्याओं और राजनीतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से परिवर्तन हुए, यह एक प्रतिमान बन गया, जो कई लोगों के अनुकरण हेतु संघीय राजनीति का एक मॉडल है। अमेरिका के उदाहरण का अनुसरण करने वाला पहला देश कनाडा था, जिसने 1867 में एक संघीय प्रणाली को अपनाया था। ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटीश उपनिवेशों ने भी 1901 में स्वतंत्र-उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होने पर एक संघीय नीति अपनाई थी। यूरोप में, स्विस कैंटोन्स ने पहले से ही एक महासंघ बनाया था। बोल्शेविक क्रांति के तुरंत बाद, सोवियत संघ और यूगोस्लाविया ने एक संघीय संविधान को अपनाया। उपनिवेशवाद से मुक्त हुए एशिया और अफ्रीका के कई नए स्वतंत्र देशों ने विविधताओं को समायोजित करने के लिए एक तंत्र के रूप में संघवाद को देखा। भारत, पाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया और कैमरून ने इस उद्देश्य के लिए संघीय प्रणाली को अपनाया। लैटिन अमेरिका में भी अर्जेंटीना, ब्राजील और मैक्सिको जैसे बड़े राज्य महासंघ बन गए हैं।

अमेरिका के विपरीत, जंहा स्वतंत्र राज्यों ने एक संघीय राजनीति स्थापित करने के लिए एक साथ आने के लिए सहमति व्यक्त की, भारत में यह संघ या केंद्र से राज्यों या प्रांतो में शक्ति का हंस्तातंरण का मामला था। भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने रियासतों सहित एक महासंघ की स्थापना का प्रयास किया। हालांकि, रियासतो की निरूत्साहित प्रतिक्रिया और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरूआत के कारण, संघीय प्रावधानों को केवल आंशिक रूप से लागू किया गया था। 1947 में स्वतंत्रता के बाद ही संविधान सभा ने देश की सांस्कृतिक और जातीय विविधता को ध्यान में रखते हुए संघीय मॉडल को अपनाया। रियासतों को एकीकृत किया गया और बाद में राज्यों को भाषाई और जातीय आधार पर पुर्नगठित किया गया।

संघीय व्यवस्था के विकास के उपरोक्त विवरण से, यह स्पष्ट है कि शक्ति वितरण या साझाकरण की विभिन्न श्रेणी के आधार पर विभिन्न प्रकार की संघीय व्यवस्थाएं हैं। पहली तरह की संघीय प्रणाली तब है जब राज्य की संप्रभुता में हिस्सेदारी होती है और वे विचारपूर्वक एक संघ निर्मित करने के लिए एक साथ आते है। ऐसे मामलों में, क्षेत्रीय सरकार को केंद्रीय सत्ता से काफी हद तक स्वायत्तता और स्वतंत्रता मिलती है। इस प्रकार की संघीय व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका है। दूसरी तरह तब होती है जब एक विशेष राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं प्रकृति में संघीय हैं, लेकिन मजबूत केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के साथ। उदाहरण के लिए, भारत में, जो एक पूर्व सहमति व्यवस्था के आधार पर नहीं बना और जंहा केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन के बावजूद, केंद्र प्रमुख शक्ति अपने पास रखता है, यहां तक कि राज्यों के भौगोलिक क्षेत्र को उनकी सहमति के बिना परिवर्तित कर सकता है। तीसरा, 'विकेन्द्रीकृत संघ' है, जो मुख्य रूप से एकात्मक होने के बावजूद जिसकी विभिन्न उप-राष्ट्रीय इकाइयाँ है जिन्हें अपने मामलों के प्रबंधन के लिए काफी मात्रा में स्वायत्तता दी जाती है ताकि उनकी पहचान को खतरा न हों। उदाहरण के लिए, यूनाइटेड किंगडम

में स्कॉटलैंड को कानूनी प्रणाली और स्थानीय प्रशासन सहित कई मामलों को संभालने की स्वायत्तता हैं। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सरकार का संघीय रूप तब अपनाया जाता है जब कोई बड़ा भौगोलिक क्षेत्र हों या जब विशेष क्षेत्र हों जिसमें विभिन्न सामाजिक समूहों की सघनता हों।

कुछ मामलों में, दोनों कारण एक साथ सन्निहित होते हैं। उदाहरण के लिए, हांलाकि भारत अपने बड़े भौगोलिक विस्तार के कारण राज्यों का संघ निर्मित करने के विकल्प को चुना है, लेकिन बाद में उसने भाषाई और जातीय आधार पर राज्यों को पुनर्गठित करने की आवश्कता को मान्यता दी और इस प्रकार विविधता को आत्मसात् किया।

एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में, संघीय प्रणाली बेहतर प्रशासन और शासन में मद्द करती है। और जब राजनीतिक विभेद को संबोधित करने के लिए एक संघीय प्रणाली को अपनाया जाता है, तो यह उन्हें अपने स्वयं के मामलों को संचालित करने के लिए पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान करके विविधता को एक साथ रखने का दृढ़ आधार प्रदान करता हैं। उदाहरण के लिए, 1993 में, बेल्जियम् ने अपने तीन अलग-अलग क्षेत्रों को टूटने से बचाने के लिए एक संघीय प्रणाली को अपनाया।

6.3 संघवादः आवश्यक विशेषताएं

चाहे एक संघीय प्रणाली स्वतंत्र राजनीतिक इकाइयों के एक साथ आने के फलस्वरूप अस्तित्व में आई हों (जैसे अमेरिका में) या एकात्मक राज्यों के द्वारा संवैधानिक रूप से अपनी शक्तियों का हस्तांतरण 'एक सामूहिक राज्य' को करने से निर्मित हुई हों (जैसे 'भारत' में)। सरकार के सभी संघीय रूपों में कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। आइए हम इन सामान्य विशेषताओं की जांच करें।

6.3.1 शक्ति का विभाजन

हालांकि, शक्ति के विभाजन का तरीका और व्यवस्था विभिन्न व्यवस्थाओं में भिन्न होती है, जब कि एक संघवाद की मुख्य विशेषता, संघीय और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन है। यह उन विषयों को निर्दिष्ट करके प्राप्त किया जा सकता है जिन पर संघीय या केन्द्र सरकार का अन्नय अधिकार क्षेत्र है और राज्यों के साथ अवशिष्ट शक्तियों को बनाए रखा जाता है (जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है)। एक और तरीका यह है कि केंद्र और राज्यों दोनों को आंवटित विषयों को निर्दिष्ट कर दिया जाता है और दिए गए विषयों को केन्द्र की सूची में उल्लिखित नही किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत, कनाडा और बेल्जियम में, केन्द्र को अवशिष्ट शक्तियां दी जाती है। भारतीय संविधान, केन्द्र और राज्यों के अधीन विषयों को निर्दिष्ट करने के अलावा, एक समवर्ती सूची भी प्रदान करता है जिस पर केन्द्र और राज्यों दोनो का अधिकार क्षेत्र होता है।

6.3.2 लिखित संविधान

चूंकि केन्द्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन एक सुसम्बद्ध प्रकृति में है, अतः इसे लिखित रूप दिया जाना आवश्यक है। एक संघीय व्यवस्था उन क्षेत्रों को निर्दिष्ट करती हैं जिन पर केंद्र और राज्यों का अधिकार क्षेत्र होता हैं। इसका तात्पर्य यह है कि केंद्र और राज्य दोनों ही संविधान से अपनी

शक्तियों को प्राप्त करते हैं। एक संघीय व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च होता है। प्रत्येक शक्ति– कार्यकारी, विधायी या न्यायिक– चाहे वह केंद्र से संबंधित हो या राज्यों के अधीनस्थ हो, वे संविधान द्वारा नियंत्रित होती है। न तो केन्द्र और न ही राज्य संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला कानून बना सकते हैं। संविधान को प्रदत्त केंद्रीयता को देखते हुए, अधिकांश संघों में ऐसे प्रावधान हैं जिनसे केंद्र या राज्यों द्वारा एकतरफा तरीके से संविधान को परिवर्तित करना मुश्किल होता है। संविधान के संशोधन के लिए निर्धारित कठिन प्रक्रियाओं के कारण, विशेष रूप से इसके संघीय प्रावधानों के सन्दर्भ में, संघीय संविधानों को कठोर संविधान माना जाता है।

6.3.3 न्यायिक समीक्षा

संविधान का कानूनी वर्चस्व है, जो एक संघीय प्रणाली का एक आवश्यक लक्षण है। यह आवश्यक बनाता है कि संघीय सरकार और राज्य सरकारों दोनों के ऊपर एक निकाय हो, जो यह तय करें कि वे उन्हें दी गई शक्तियों के भीतर काम कर रहें हैं या नहीं। संविधान की व्याख्या करने का यह कार्य आमतौर पर सर्वोच्च न्यायालय को दिया जाता है। यह सर्वोच्च न्यायालय है जो केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले कानूनी विवादों का फैसला करता है। यह किसी भी अधिनियम या कानून को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर सकता है यदि वह संविधान एवं उसकी आत्मा के खिलाफ जाता है। कुछ मामलों में, यह कार्य एक स्वतंत्र निकाय को सौंपा जा सकता है। लंबे समय तक, कनाडाई संविधान से संबंधित यह कार्य इंग्लैण्ड में प्रिवी कांउसिल द्वारा किया जाता था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानूनों की संवैधानिक वैधता तय करने की शक्ति को न्यायिक समीक्षा की शक्ति कहा जाता है।

6.4 संघवाद की बदलती प्रकृति

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, संघवाद का कोई निश्चित अर्थ नहीं हैं और इसका अर्थ बदलते समय के साथ विकसित होता रहता हैं। 17वीं शताब्दी के शुरूआती दिनों में जर्मन विचारक जोहान्स एल्थुजियस द्वारा बताए गए संघवाद की सबसे पहली समझ यह है कि प्रत्येक मानव संघ एक संधि द्वारा बनता है और यह संधि एक साथ रहने का मूल आधार बनती है, जो संघीय संघटन के गठन की ओर ले जाती है। इस प्रकार, उनके विचारों ने समाज और राजनीति के आयोजन के लिए महत्वपूर्ण धारणा के रूप में संघवाद को सबसे आगे लाया।

बाद में अमेरिकी महासंघ के गठन के साथ, दोहरे (द्वैत) संघवाद की धारणा ने आकार लिया। दोहरे संघटन में, सरकार के दो स्तरों को उनके संबंधित क्षेत्रों में 'संप्रभु' के रूप में देखा जाता है और इस प्रकार दोनो को समान माना जाता है। लेकिन दोनों सरकारों के बीच निरंतर तनाव के साथ, यह व्यवस्था एक सदी से अधिक समय तक चली। जबकि संघीय सरकार की भूमिका को राज्यों के द्वारा सीमित किया गया था, संघीय सरकार ने बड़ा राजनीतिक या राष्ट्रीय समुदाय बनाने के लिए प्रयास किया। यह केवल 1930 और 1940 के दशक में था, जब अमेरिकी संघीय सरकार ने उस अर्थव्यवस्था को विनियमित करना शुरू किया जो दोहरे संघवाद को फीका करती थी, जिससे सहकारी संघवाद के लिए रास्ता निर्मित हुआ। इस व्यवस्था में, दोनों स्तरों पर सरकारों का 'आंतरिक लेने और देने' के

सिद्धांतों के आधार पर पूरक और सद्भाव में काम करने के रूप में देखा गया। सहकारी संघवाद में, मुख्य ध्यान संघ की अखंडता बनाए रखने और संयुक्त समाधान खोजने के द्वारा नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देने पर रहा है। लेकिन अमेरिका, ऑस्टेलिया और कनाडा में इनके वास्तविक कामकाज से पता चलता है कि सहकारी संघवाद की यह धारणा, नागरिकों के कल्याण को प्राप्त करने के नाम पर, शक्तियों के केन्द्रीयकरण के कारण, राज्य सरकारों की स्वायत्ता और अधिकार को प्रभावी ढ़ग से कम करती है।

हाल के समय में, कई विद्वानों ने संघीय व्यवस्था के अध्ययन के दौरान अन्योन्याश्रित संघवाद की धारणा को आगे बढाया है, जिसमें दोनों सरकारें न तो पूरी तरह से स्वतंत्र होंगी और न ही उनमें दोहरे संघवाद की विशेषता होगी एवं न ही अन्य के अधीनस्थ होगी, जैसा कि सहकारी संघवाद में हैं। एलज़ार का मानना है कि संस्थागत व्यवस्था के रूप में संघवाद 'स्व-शासन और साझा शासन' के सिधांतो पर आधारित है। स्थानीय महत्व के मामलों में विशेष रूप से स्व-शासन की अनुमति है, तथा आम हितों के मामलों पर निर्णय, साझा शासन का उपयोग करके सरकार के दो स्तरों के बीच पारस्परिक साझेदारी के माध्यम से किया जाता हैं। यह संघीय संरचना को एक मात्र संरचनात्मक श्रेणी की एक प्रक्रिया से बाहर लाता है, जिसके द्वारा कई अलग-अलग राजनीतिक समुदाय समाधान निकालने, संयुक्त नीतियों को अपनाने और संयुक्त समस्याओं पर संयुक्त निर्णय लेने की व्यवस्था में प्रवेश करते हैं' (सी.ज़े.फ्रेडरिक 1968)।

भारत में भी, संघीय प्रक्रिया केंद्रीयकरण की दिशा में रही है। यह आधुनिक राज्य की बढ़ती जिम्मेदारियों के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। भारतीय राज्य से अपेक्षा की गई थी कि वह सामाजिक-आर्थिक विकास में हस्तक्षेप करने वाली भूमिका निभाने के साथ-साथ एक उच्च वर्ग के समाज को एकीकृत राष्ट्रीय और राजनीतिक इकाई में ढाल देगा। इन कार्यो की व्यापकता को देखते हुए, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि संघ या केंद्र सरकार नेतृत्व या प्रधानता की स्थिति संभालने के लिए आगे आएं है। भारत में संघीय राजनीति को एक प्रमुख आकार देना राज्य द्वारा संपूर्ण विकास की रणनीति रही है। स्वतंत्र भारत द्वारा अपनाई गई विकास की नीतियां अर्थव्यवस्था के उत्पादन के आधार को बढ़ाने में और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में सफल रही हैं, लेकिन देश के विभिन्न वर्गो और क्षेत्रों के संतुलित एवं न्यायसंगत विकास को सुनिश्चित करने में विफल रही हैं। इसने विभिन्न क्षेत्रों और जातीय समुदायों के बीच तनाव पैदा कर दिया है, जिससे कभी-कभी संघीय संतुलन में तनाव पैदा हो जाता है (जैसे कि अलगाववादी आंदोलन 1960 के दशक में तमिलनाडु में और 1980 के दशक में पंजाब में हुए।) अन्य कारक, जैसे भारत में संघीय व्यवस्था को आकार देने में पार्टी प्रणाली की भूमिका की चर्चा बीपीएससी 132 में की गई हैं। यंहा, आपको ध्यान देना चाहिए कि केंद्रीयकरण के रूझान के बावजूद, यह प्रक्रिया कभी भी एकात्मकता में परिवर्तित होने की चरम अवस्था तक नहीं पंहुची है। इसके बजाय, हम सहकारी संघवाद की ओर एक रूझान पाते हैं। राज्यों की ओर से बातचीत और सौदेबाजी एवं केंद्र की ओर से आत्म-संयम तथा आम सहमति का निर्माण किया गया है।

परिसंघ

एक परिसंघ राज्यों का एक ढीला गठबंधन है। इसका केंद्रीय संगठन हो सकता है या नहीं। जंहा यह एक है, यह घटक इकाइयों पर निर्भर है और लोगों के साथ सीधे सरोकार नहीं करता है। एक परिसंघ में केंद्रीय अंग के पास स्वयं के सीमित साधन है और राज्यों के माध्यम से काम करता है। एक परिसंघ में राज्य अपनी संप्रभुता को बनाए रखते हैं और किसी भी समय इसे वापस ले सकते हैं। इस प्रकार, परिसंघ की इकाइयों की स्वतंत्रता पर अधिक जोर दिया जाता है, जितना कि एक महासंघ में पाया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 तक राज्यों का एक परिसंघ था और उसके बाद एक महासंघ बना।

6.5 एकात्मक व्यवस्था को समझना

एकात्मक व्यवस्था, संघीय व्यवस्था की तुलना में बहुत पुरानी हैं। जैसा कि पहले कहा गया था, आधुनिक एकात्मक व्यवस्था पद्चिहनों को सांमतवाद के पतन और यूरोप में पूर्ण राजशाही के उदय से लगाया जा सकता है। यह राजा और उसके मंत्रियो के राजनीतिक शक्ति के केंद्र के रूप में उभरने के संदर्भ में है, उस संप्रभुता के अद्वैतवादी सिधांत को थॉमस हाब्स और जीन बोडिन के द्वारा आगे बढाया गया था। केंद्र सरकार ने राजनीतिक वर्चस्व का दावा किया। 19वीं शताब्दी के बाद से, राष्ट्रवाद की विचारधारा ने विविध क्षेत्रों या लोगों को एक प्रभुत्व (कमान या आदेश) के अन्तर्गत एकीकरण करने की मांग की, आगे चलकर इस प्रवृत्ति को और मजबूत किया। जैसा कि राष्ट्रों को आम भाषा एवं कभी-कभी धर्म के साथ सयोंजन के आधार पर संगठित किया जाता था, जिससे इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, हॉलैंड और अन्य यूरोपीय राज्य 'राष्ट्र-राज्य' का प्रादूर्भाव हुआ। इन सभी राष्ट्र-राज्यों में सरकार का एकात्मक रूप था, हालांकि उनके बीच शक्ति के केंद्रीकरण की सीमा भिन्न थी।

6.5.1 एकात्मक व्यवस्था: मूल विशेषताएं

यह एक राजनीतिक प्रणाली हैं, जंहा शक्तियों (विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका) को एक केंद्रीकृत सत्ता (चाहे एक गणतांत्रिक सत्ता या सम्राट) में निहित किया जाता है, जो निचले स्तर की शक्ति को हस्तांतरित कर सकता है या नहीं कर सकता है, और जो स्थानीय (या क्षेत्रीय या प्रांतीय या उप-राष्ट्रीय) स्वायत्तता के लिए प्रदान कर सकता है।

सरल शब्दों में, सरकार के एकात्मक रूप में, सभी अधिकार केंद्रीय सत्ता में निहित होते हैं। केंद्रीय स्तर पर, सरकार के तीन अंगों के बीच शक्ति का अलगाव हो सकता हैं, लेकिन केंद्र और भौगोलिक उप-इकाइयों के बीच शक्ति का कोई विभाजन नहीं होता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उप-इकाइयों के पास कोई शक्ति नहीं हो सकती हैं। यदि केंद्र सरकार द्वारा पूरे राज्य को स्वयं से संचालित करना कठिन हो जाता है, तो वो निचले स्तर की शक्ति का वितरण कर सकती है। इस प्रकार स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर उप-इकाइयों को हस्तांतरित शक्ति स्थाई नहीं होती हैं। कोई औचित्य बताएं बिना भी केंद्र द्वारा किसी भी समय इस शक्ति को वापस लिया जा सकता है। इसका कारण यह है कि उप-इकाइयाँ अपनी शक्तियां संविधान से नहीं बल्कि केंद्रीय विधायिका के अधिनियमों से प्राप्त करती है।

चूंकि संप्रभु सत्ता अविभाजित है, एक एकात्मक व्यवस्था का संविधान कठोर संविधान नहीं हैं। संविधान में संशोधन करने की शक्ति केंद्रीय सत्ता (कभी-कभी लोगों के साथ) के पास निहित होती है। यूनाइटेड किंगडम में एकात्मक राज्य व्यवस्था और कोई लिखित संविधान नहीं हैं। इसके अलावा, संसद जो संप्रभु है, के पास कानून बनाने की असीमित शक्तियां हैं। यदि विधायिका की शक्तियों पर कोई सीमा है, तो ये केवल स्थानीय स्वायतत्ता के बजाय व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संरक्षित करने के लिए हैं।

डैनियल जे एलज़ार ने एकात्मक प्रणाली के दो मॉडल की पहचान की है– पदानुक्रमित और अवयवी मॉडल। पदानुक्रमित मॉडल एक पिरामिड द्वारा दर्शाया जाता है, जिसमें शीर्ष स्तर पर केंद्रीय सत्ता प्रतिनिधित्व करती है जिसमें प्रमुख और अधिकांश निर्णय लेने की शक्ति होती है। निचले स्तर पर सिर्फ कुशल प्रशासन और सत्ता के संगठन के लिए विकेंद्रीकृत शक्तियां है। फ्रांस पदानुक्रमित एकात्मक प्रणाली का एक उदाहरण है। दूसरी ओर, एकात्मक प्रणाली का अवयवी मॉडल केंद्र और परिधि के बीच संबंध के रूप में दर्शाया गया है। सभी सत्ता केंद्र के मूल में केंद्रित हैं और परिधि की भूमिका केंद्र पर निर्भर है। केंद्र ''कुलीनतंत्र के लौह कानून'' का प्रतिनिधित्व करता है, जंहा शक्ति केंद्रीय सत्ता के पास होती है, जो इस स्थिति के आधार पर परिधियों को कुछ मात्रा में शक्ति दे सकती है, और यह प्रतीत हो सकता है कि परिधि में महत्वपूर्ण शक्ति है लेकिन वास्तव में शक्ति का स्रोत और अधिकार केवल केंद्र में होता है।

एकात्मक प्रणाली के इस केंद्र और परिधि वाली संरचना का उत्कृष्ट उदाहरण ब्रिटेन हैं। यंहा, स्काटलैंड (परिधि) के पास बड़ी संख्या में मुद्दों को विनियमित करने के लिए स्वायत्त शक्ति है लेकिन उस शक्ति को यूके की संसद (केंद्र) द्वारा दिया गया है। अब यह स्पष्ट है कि सरकार के एकात्मक रूप में सत्ता ऊपर से नीचे की ओर या केंद्र से परिधि की ओर प्रवाहित होती है न कि दूसरे तरीके से।

अभ्यास प्रश्न 1

नोटः i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का उपयोग करें।
ii) अपने उत्तर के लिए सुझावों हेतु इकाई के अंत में देखें।

1) एक संघीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

.....

.....

.....

2) संघवाद के स्वरूप का विकास होता रहा है। टिप्पणी करें।

.....

.....

.....

3) एकात्मक व्यवस्था क्या है? उदाहरण दीजिए।

.....

.....

.....

.....

6.6 संघीय तथा एकात्मक व्यवस्था में अन्तर

जैसा कि हमने पिछले संभागों मे देखा है कि कुछ मामलों में संघीय और एकात्मक प्रणाली के बीच बहुत भिन्नताएं है या तो संघीय प्रणाली एकात्मक प्रणाली के कुछ तत्वों का अधिग्रहण करने का प्रयास करती है या इसके विपरीत होता है। इसलिए जब हम इन दोनों प्रणालियों के अनुभवजन्य कार्यान्वयन को देखते हैं, तो बहुत सारी समानताएं दृष्टिगोचर होती है, लेकिन इन अभिसरणों के बावजूद कुछ अंतर है जिन्हें उजागर किया जा सकता है और दोनों के बीच अंतर करने के लिए उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित कुछ बिंदु है जो मतभेदों को उजागर करते हैं:

6.6.1 शक्ति का स्रोत

एक संघीय प्रणाली के मामले में, घटक इकाइयों ने अपनी स्वयं की शक्ति को अच्छी तरह से परिभाषित किया है, जिसे कि केंद्र द्वारा उन्हें नहीं सौंपा गया है, बल्कि ये उनमें निहित हैं। और संघ की घटक इकाई के लिए शक्ति का स्रोत संविधान है न कि संघीय सरकार। वहीं दूसरी ओर एकात्मक प्रणाली में शक्ति का मुख्य अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है, जो शक्ति को निचली इकाइयों को समर्पित करती है। इसलिए, एकात्मक प्रणाली के मामलें में, निचली इकाइयों के लिए शक्ति का स्रोत संविधान के बजाय केंद्रीय सत्ता है।

6.6.2 शक्ति की प्रकृति

संघीय प्रणाली में, शक्ति घटक इकाइयों में अंतर्निहित होती है और इस प्रकार एक स्थायी प्रकृति की है तथा संघीय सरकार द्वारा उनके ढुलमुल रवैया और अभिरूचियों के आधार पर न तो उसमें परिवर्तन किया जा सकता है अथवा न ही वापस लिया जा सकता है। इस प्रकार एक संघीय प्रणाली में बजाय केवल शक्ति हस्तांतरण करने के, शक्ति साझा की जाती है। घटक इकाइयों को शक्ति की गारंटी संविधान द्वारा दी जाती है और केवल संवैधानिक ढ़ांचे के अंर्तगत उनकी पूर्व-सहमति से परिवर्तन किया जा सकता है। जब कि एकात्मक प्रकार की सरकार में जंहा हस्तातंरित या विकेंद्रीकृत की गई शक्ति स्थायी प्रकृति की नहीं होती है और इसे केंद्रीय सत्ता द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहे वापस लिया जा सकता है, बिना निचली इकाइयों की सहमति लिए। इसके अलावा केंद्रीय और निचली इकाइयों के बीच एक पदानुक्रमित संबंध होता है और जो पूर्व के अधीनस्थ होती है। इस प्रकार, संघीय प्रणाली में घटक इकाई की शक्ति स्थायी और एकात्मक प्रणाली में अस्थायी होती है।

6.6.3 क्षेत्रीय सीमांकन

एक संघीय प्रणाली के मामले में जब इकाइंया विभाजित होती हैं या जब विभिन्न इकाइयाँ एक साथ आती है, तो इसका मुख्य उद्देश्य विविधता को समायोजित करना और बहुलवाद के लिये गुंजाइश प्रदान करना होता है। जब कि दूसरी ओर जब एक क्षेत्र को एकात्मक प्रणाली में छोटी इकाइयाँ में सीमांकित किया जाता है, तो मुख्य उद्देश्य क्षेत्र पर प्रभावी शासन करना होता हैं, हांलाकि यह दोनों के बीच अंतर करने के लिए एक ठोस आधार नहीं हैं, लेकिन पहले वाले को विविधता को समायोजित करने के आयाम के मानदंड के साथ जोड़ा जाता है जो एकात्मक प्रणाली में विलुप्त है।

6.6.4 विकेंद्रीकरण बनाम् गैर-केंद्रीकरण

सामान्यतः, जब हम एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को देखते हैं जिसमें निचले स्तर की प्रशासनिक इकाइयों के हाथ में प्रभावी शक्ति होती है, तो हम इसको संघीय प्रणाली के परिपेक्ष्य में अवलोकित करके भ्रमित होते है। लेकिन यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि शक्ति के उद्देश्यपूर्ण विकेंद्रीकरण और सत्ता के गैर-केंद्रीकरण के बीच अंतर है। सत्ता का उद्देश्यपूर्ण विकेंद्रीकरण तब होता हैं जब उच्च अधिकारी, भिन्न प्रकार की एकात्मक प्रणाली में निश्चित शक्ति निचले स्तर तक हस्तांतरित या विकेंदीकृत की जाती है। उदाहरणार्थ, स्पेन में केंद्र सरकार ने 17 स्वायत्त समुदायों को शक्ति हस्तांतरित की हैं। या यूके में जंहा स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड और वेल्स में स्वायत्त शक्ति है, लेकिन उन शक्तियों को ब्रिटेन की संसद द्वारा उन्हें सौंप दिया गया है। ऐसी प्रत्यायोजित शक्तियां स्थाई प्रकृति की नहीं होती है और इन्हें किसी भी समय पुनः केन्द्रीयकृत किया जा सकता है। इसका तात्पर्य है कि उप-इकाइयाँ केंद्र सरकार पर निर्भर होती है। इस प्रकार, शक्ति का उद्देश्यपूर्ण विकेंद्रीकरण एकात्मक प्रणाली के साथ जुड़ा हुआ है। और दूसरी ओर, गैर-केंद्रीकरण संघीय व्यवस्था से संबंधित है। जब हम गैर-केंद्रीकरण के बारे में बात करते हैं, तो वंहा शक्ति केवल हस्तांतरित नहीं होती है, बल्कि विभिन्न घटक इकाइयों के बीच व्याप्त होती हैं। इसका मतलब यह है कि सत्ता का कोई एक केंद्र नहीं है और दोनों स्तरों पर सरकारें अपने काम में सापेक्ष स्वायत्तता और स्वतंत्रता का उपयोग करती है। इस प्रकार, उप-इकाइया शक्ति के स्व-स्थायी केंद्र है। इसलिए, संघीय सरकार द्वारा राज्य सरकार की शक्तियों को एकपक्षीय तरीके से नहीं लिया जा सकता हैं, और जैसा कि कोई एक विशेष केंद्र नहीं है इसलिए केंद्रीकरण नहीं हो सकता हैं। गैर-केंद्रीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण यूएसए हैं।

6.6.5 कार्यात्मक स्वायत्तता

एक संघीय प्रणाली में, घटक इकाइयों में कार्यात्मक स्वायत्तता का अधिक अनुपात होता है और इसमें तात्विक कार्यात्मक शक्तिया होती हैं। संघीय प्रणाली में, घटक इकाइया'स्व-शासन और शक्ति-साझाकरण' के विचारों को मूर्त रूप देती हैं। दूसरी ओर, जब शक्ति एकात्मक प्रणाली में विकेंद्रीकृत होती है, तो क्षेत्रीय प्रशासन को सीमित कार्यात्मक स्वायत्तता प्राप्त होती हैं। जब शक्ति निचले स्तर तक हस्तांतरित हो जाती है, तो वह कुछ कार्यो से मुक्त हो जाती है, इसका लक्ष्य निर्णय लेने में पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान करने के बजाय प्रशासनिक सुविधा प्रदान करना होता हैं।

अभ्यास प्रश्न 2

नोटः i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का उपयोग करें।

ii) अपने उत्तर के लिए सुझावों हेतु इकाई के अंत में देखें।

1) संघीय और एकात्मक व्यवस्था की तुलना और निरूपण करें।

.....

.....

.....

.....

2) शक्ति के विकेंद्रीकरण और गैर-केंद्रीकरण के बीच अंतर कीजिए।

.....

.....

.....

6.7 सारांश

इस इकाई में हमने देखा है कि एक संघ सरकार का ही एक रूप है जिसें शक्तियों को संघ या केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विभाजित किया जाता है। 18वीं शताब्दी के अंत में सरकार के संघीय रूप को अपनाने वाला पहला देश अमरीका था। तब से कई देशों ने सरकार के इस रूप को अपनाया है। इसे मुख्य रूप से विविधता को समायोजित करने और प्रशासनिक दक्षता प्राप्त करने के लिए किया गया।

एक महासंघ तब सफल हो सकता है जब राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय स्वायत्ता की मांगों के बीच संतुलन बनाने का मनोरथ हो। एक लोकतांत्रिक सरकार अपनी सहनशीलता और सर्वसम्मति के मूल्यों के साथ एक महासंघ के अनुरूप होता है। एलाज़र ने स्पष्ट किया कि 'संघवाद के फायदों के बावजूद, यह किसी भी तरह से सभी लोगों के लिए या राजनीति के लिए उपर्युक्त नहीं है..... इस क्रम में सफल होने के लिए, संघबद्ध होने के लिए इच्छा शक्ति, संघीय व्यवस्था को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त सद्भावना, और एक राजनीतिक संस्कृति होनी चाहिए, जो उन व्यवस्थाओं के संतुलन, बातचीत और समझौता करने की इच्छा और सौहार्द की भावना साझा-नियम संबंधों के काम करने के लिए आवश्यक है'। दूसरी तरफ एकात्मक प्रणाली, केंद्र सरकार में राजनीतिक शक्तियों की एकाग्रता, एक संप्रभु विधायिका और सशक्त राष्ट्रीय एकता की भावना अभिलक्षित है। हाल के वर्षों में, महासंघ में सत्ता के केंद्रिकरण की दिशा में प्रवाह देखने को मिलता है। काफी हद तक यह तेज़ी से विकास और सुरक्षा प्राप्त करने की मजबूरियों के कारण है। विकासशील देशों में, एक ओर विविधता का दबाव और दूसरी ओर केंद्रीकरण की प्रवृति, संघीय संतुलन को बनाए रखने के लिए जारी है।

6.8 संदर्भ

बाल्दी, ब्रुनेत्ता. (1999). बियोंड दी फेडरल-युनिटरी डाइकोटोमी, बर्कले. युनिवर्सिटि ऑफ कैलिफोर्निया.

बर्गस, माइकल एंड अलाइन-जी, गैगनोन. (एडस्). (1993). कम्पैरेटिव फेडरलिज़्म एंड फेडरेशनः कम्पीटिंग ट्रेडिशनस् एंड फ्यूचर डाइरेक्शनस्. न्यूयॉर्क. हार्वेस्टर,व्हीटस्हीफ.

बर्गस, माइकल. (2006). कम्पैरेटिव फेडरलिज़्म: थ्योरी एंड प्रैक्टिस, न्यूयॉर्क, रॉतलदे.

एलाज़र, जे डेनियल. (1995). फेडरलिज़्म: एन ओवरव्यू, प्रेटोरिया, एचएसआरसी.

फेडरिक, जे कार्ल.(1968). ट्रेंडस् ऑफ फेडरलिज़्म इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, न्यूयॉर्क, प्रेगर.

6.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

1) उत्तर में निम्नलिखित बिंदु शामिल होने चाहिए - शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, एक स्वतंत्र न्यायपालिका।

2) इससे शुरू करें कि अल्थुसियस ने संघवाद को कैसे समझा (समाज पर आधारित) फिर दोहरे संघवाद की व्याख्या करें (दो समान संप्रभु सरकारों की तरह), सहकारी संघवाद (सरकार के दो स्तर मिलकर काम कर रहे) और अंततः अन्योन्याश्रित संघवाद(अत्यधिक स्वायत्त क्षेत्र और अत्यधिक केंद्रिकरण कर प्रवृत्ति के बीच संतुलन)।

3) निम्न विषयों को समाविष्ट करें: केंद्रिकृत प्राधिकरण, शक्तियों का मिलना, सीमित स्वायत्तता, पदानुक्रमित और चेतन प्रतिरूप।

अभ्यास प्रश्न 2

1) शक्ति का स्रोत (संविधान बनाम केंद्र सरकार); शक्ति की प्रकृति (स्थायी बनाम अस्थायी); प्रादेशिक सीमांकन (नियामक बनाम प्रशासनिक उद्देश्य); शक्ति (गैर-केंद्रिकृत बनाम विकेंद्रिकृत); कार्यात्मक स्वायत्तता (पर्यात बनाम सीमित स्वायत्तता)।

2) स्पष्ट करें कि कैसे, शक्ति का स्वरूप और शक्ति का स्रोत, उद्देश्यपूर्ण विकेंद्रीकरण और गैर-विकेंद्रीकरण के बीच की भिन्नता का परिणाम है। भेद स्पष्ट करने के लिए स्पेन या यूके और यूएसए का उदाहरण दें।